न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 241 / 2022 दायर दिनांक–28.12.2022

1. जयकोरी पुत्री नाराणाराम
2. जयकरण पुत्र रामलाल
3. सुरेश कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी धींवा की ढाणी तन सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : इश्तरार हक व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–28.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम पुनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादिया नं0 1 जयकोरी पुत्री नाराणा को घोषित किया जावे तथा ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 1.15 है0 में से 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादी नं0 2 जयकरण व वादी नं0 3 सुरेश पुत्रगण रामलाल को घोषित किया जावे तथा शेष भूमि 0.21 है0 भूमि यथावत जयकोरी के नाम से रखी जावे तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करेन का आदेश प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादिया जयकोरी का चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात असल विनिमय पत्र , नजरी नक्शा ख0 न0 160, नकल जमाबंदी ख0 न0 160 नजरी नक्शा खसरा नम्बर 169, नकल जमाबंदी ख0 न0 169 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विनिमय पत्र से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र द्वारा भूमि का आदान प्रदान करके कब्जा सुपुर्द किया गया है परन्तु नामांतरण नही भरे जाने के कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड पूर्ववत चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम पुनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादिया नं0 1 जयकोरी पुत्री नाराणा को घोषित किया जाता है तथा ग्राम पुनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 1.15 है0 में से 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादी नं0 2 जयकरण व वादी नं0 3 सुरेश पुत्रगण रामलाल को घोषित किया जाता है तथा शेष 0.21 है0 भूमि जयकोरी के नाम से यथावत रखी जाती है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 241/2022 **(जयकोरी आदि बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम पुनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादिया नं0 1 जयकोरी पुत्री नाराणा को घोषित किया जाता है तथा ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 1.15 है0 में से 0.94 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादी नं0 2 जयकरण व वादी नं0 3 सुरेश पुत्रगण रामलाल को घोषित किया जाता है तथा शेष 0.21 है0 भूमि जयकोरी के नाम से यथावत रखी जाती है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वज़ह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:36 IST
Reason: SelfAttested